


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, ज ब ल पुर

-0- सूचना -0-

क्रमांक...6/4-332/
चार-1-1/2020

जबलपुर, दिनांक...05. नवम्बर, 2020

समस्त दैनिक वेतन भोगी/चतुर्थ श्रेणी/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, जिनका मूल वेतन (मंहगाई भत्ता सहित) रू. 40,000/- प्रतिमाह या इससे कम है, को सूचित किया जाता है कि यदि वे विशेष त्यौहार अग्रिम से संबंधित प्रार्थना पत्र 2 कार्य दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से इस रजिस्ट्री में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले त्यौहार अग्रिम आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।


5.11.2020
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम)

कर्मचारी क्रमांक

कार्यालय

//विशेष त्यौहार अग्रिम हेतु प्रार्थना पत्र//

टीप:- स्वीकृतकर्ता अधिकारी की ओर त्यौहार के सात कार्य दिवस के पूर्व भेजा जावे

- 1 शासकीय सेवक का पूरा नाम, पद तथा विभाग
-
-
- 2 टीप- यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो तो पिता का नाम भी लिखा जावे.
- 3 सेवा का प्रकार स्थाई/अर्द्धस्थायी/ अस्थायी/ कार्यभारित/तदर्थ/ संविदा कर्मी/ स्थाई कर्मी/दैनिक वेतन भोगी/ राज्य शासन के शत-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कर्मी.
- 4 मिलने वाला वेतन,मंहगाई भत्ता
- 5 त्यौहार का नाम जिसके लिये चाहिए
- 6 अग्रिम की धनराशि जो चाहिए
- 7 गत अवसर अग्रिम लिया गया था यदि हां तो अग्रिम जो जमा होना शेष है.
- 8 अग्रिम हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम, पद

विभाग

सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा